

World Trade Organisation (विश्व व्यापार संगठन)

1930 की विश्वव्यापी मंदी के दौरान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विकास अस्त-व्यस्त हो गया। इससे उभरने के लिए नवंबर, 1945 में अमेरिका अंत. व्यापार तथा रोजगार के विस्तार के उद्देश्य से अनेक प्रस्ताव पारित किए। अंततः 30 अक्टूबर 1947 को जेनेवा (स्वीट्जरलैंड) में 23 देशों द्वारा सीमा शुल्कों (Custom duties) से संबंधित एक सामान्य समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते को गैट (General Agreement on Tariff and Trade - GATT) के नाम से जाना जाता है। यह समझौता 1 जनवरी 1948 से लागू हुआ। प्रारंभ में इसकी स्थापना एक अस्थायी प्रबंध के रूप में की गई थी लेकिन कालांतर में यह एक स्थायी समझौता बन गया। गैट का मुख्यालय जेनेवा था। 12 दिसम्बर 1994 को GATT का अस्तित्व समाप्त कर दिया गया तथा इसकी जगह 1 जनवरी 1995 से स्थापित विश्व व्यापार संगठन - WTO ने ली।

GATT की उरुग्वे दौर की जम्बी वार्ता (1986-93) के उपरांत उरुग्वे दौर के समझौते पर मौरिको के मराकेश शहर में अप्रैल 1994 में गैट के सदस्य राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किए थे। इसके परिणाम स्वरूप 1 जनवरी 1995 को WTO की विधिवत स्थापना हो गई तथा इसने विश्व व्यापार के नियमन के लिए एक औपचारिक संगठन के रूप में GATT का स्थान ले लिया। GATT के विपरीत WTO एक स्थायी संगठन है तथा इसकी स्थापना सदस्य राष्ट्रों की संसदों द्वारा अनुमोदित एक अंत. संधि के आधार पर हुई है।

WTO का क्षेत्र (Scope) - GATT की तुलना में WTO ज्यादा व्यापक है। इसके अंतर्गत सबसे अधिक विवादास्पद क्षेत्र कृषि को शामिल किया जा चुका है तथा माल के उत्पादन प्रक्रिया के लिए प्रभाव रखने वाले अन्य क्षेत्रों को भी जोड़ा गया है। अन्य नए क्षेत्र इस प्रकार हैं:

- 1) व्यापार संबंधी बौद्धिक सम्पदा अधिकार (Trade Related Intellectual Property Rights - TRIPS)
- 2) व्यापार संबंधी निवेश उपाय (Trade Related Investment Measures - TRIMS)
- 3) सेवाओं में व्यापार पर सामान्य समझौता (General Agreement on Trade in Services - GATS)